

(स्थायी अनुज्ञापत्र निराकरण-4 बैठक दिनांक 04.02.2017)

यात्री बसों के स्थायी परमिट से संबंधित आवेदन पत्र प्रकरणों की सुनवाई दिनांक 04.02.2017 अंतर्गत शेष आवेदन पत्रों का निराकरण प्राधिकार द्वारा किया जाकर ;स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये हैं :-

स. क्र.	प्रकरण क्रमांक	विषय	आवेदक	निराकरण की स्थिति	रिमार्क
1	410/16	समयचक्र परिवर्तन बाबत। स्थायी अनुज्ञापत्र क्रमांक 34/एफ/2015 मार्ग रामपुरा से इन्दौर व्हाया मनासा, नारायणगढ, पिपलिया, मंदसौर, जावरा, रतलाम, बदनावर, नागदा, घाटाबिल्लौद, बेटमा एक सिंगल फेरा प्रतिदिन के समयचक्र परिवर्तन करने बाबत।	श्री कमलसिंह सिसोदिया, मंदसौर	स्वीकृत	
2	409/16	समयचक्र परिवर्तन बाबत। स्थायी अनुज्ञापत्र क्रमांक 87/एफ/2015 मार्ग रामपुरा से इन्दौर व्हाया मनासा, नारायणगढ, पिपलिया, मंदसौर, जावरा, रतलाम, बदनावर एक सिंगल फेरा प्रतिदिन के समयचक्र परिवर्तन करने बाबत।	श्री कमलसिंह सिसोदिया, मंदसौर	स्वीकृत	
3	395/16	नवीन स्थायी अनुज्ञापत्र बाबत। मार्ग इंदौर से खातेगांव व्हाया डबलचोकी चापडा बडी बिजवाड कन्नोद पर एक वापसी फेरा रोजाना।	श्री महेन्द्र सिंह, इंदौर	निरस्त	
4	रिमाण्ड 136/13	मार्ग इन्दौर से महिदपुररोड व्हाया सांवेर, उज्जैन, घोंसला, महिदपुर पर एक वापसी फेरा रोजाना	श्री बालकृष्ण यादव, उज्जैन	स्वीकृत	
5	रिमाण्ड 372/14	मार्ग जीरापुर से इन्दौर व्हाया मोढी, सुसनेर, आगर, उज्जैन पर एक वापसी फेर रोजाना	श्री दीपचंद पुरोहित, राजगढ	आगामी सुनवाई में नियत आदेशार्थ सुरक्षित	
6	रिमाण्ड 374/14	मार्ग रामगढ से इन्दौर व्हाया लखुनी, बडागाँव, माचलपुर, जीरापुर, मोढी, नलखेडा, आगर, उज्जैन, लखुनी पर एक वापसी फेर रोजाना	श्री कैलाशचन्द्र पुरोहित	आगामी सुनवाई में नियत आदेशार्थ सुरक्षित	

(sd)

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी
उज्जैन संभाग उज्जैन

प्रतिलिपी - 1. प्रभारी, स्मार्ट कार्ड शाखा, उज्जैन की ओर प्रेषित कर निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त सूची विभागीय वेबसाइट पर STA/RTA Document अंतर्गत प्रदर्शित करें।

2. कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

3. संबंधित वाहनस्वामियों को सूचित किया जाता है कि सुनवाई दिनांक 04.02.17 अंतर्गत उक्तानुसार आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है, अतः समयसीमा में स्वीकृत परमिट जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

4. संबंधित क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि स्वीकृत अनुज्ञापत्र के अधीन वाहनस्वामियों से स्थायी/अस्थायी अनुज्ञापत्र की दूरी अनुसार नियमानुसार प्रत्येक माह मोटरयान कर जमा कराना सुनिश्चित करें।

(sd)

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी
उज्जैन संभाग उज्जैन